"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 323]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2012—पौष 6, शक 1934

संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक 789/एफ-2(4)/2012/48/सं. का.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्र. 7 सन् 1973) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो 1 अगस्त, 2012 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, शब्द एवं अंक "रुपये 1,00,000.00 (रुपये एक लाख)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 3 के प्रथम परन्तुक में, शब्द एवं अंक "रुपये 1,00,000.00 (रुपये एक लाख)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)" प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 7 के प्रमाणपत्र में, शब्द एवं अंक "रुपये 1,00,000.00 (रुपये एक लाख)" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रुपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार)" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

क्रमांक 789/एफ-2(4)/2012/48/सं. का.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निःशुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 24th December 2012

NOTIFICATION

No. 789/F-2(4)/2012/48/P.A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Veten Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legislative Assembly Ex-members (Free Transit by Railway) Rules, 1996, with retrospective effect from 1st August, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule-3, for the words and figure "Rupees 1,00,000 (One Lac)" the words and figure "Rupees 1,50,000 (One Lac Fifty Thoushand)" shall be substituted.

2. In first proviso of rule-3, for the words and figure "Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac)" the words and figure "Rupees 1.50,000 (One Lac Fifty Thoushand)" shall be substituted.

3. In cetificate of Rule-7, for the words and figure "Rs. 1,00,000 (Rs. One Lac)" the words and figure "Rupees 1,50,000 (One Lac Fifty Thoushand)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JAWAHAR SHRIVASTAVA, Principal Secretary.

सं ,लक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.